[निजी प्रसार के लिए]

अंक २२ नई दिल्ली, दिसम्बर २०११

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिस के काम से जनता को सुरक्षित वातावरण मिलता है'

श्री रोहित चौधरी

श्री रोहित चौधरी, आई.जी. (रेलवे), पंजाब पुलिस तथा पुर्व निदेशक पंजाब पुलिस अकादमी से पुलिसिंग संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नवाज़ कोतवाल और ज़ीनत मलिक के कुछ प्रश्नोत्तर।

हाल ही में आपके द्वारा लिखे गए एक लेख में पुलिसिंग संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बेहतरीन अवलोकन किया गया है। आपके अनुसार, पुलिस विभाग को अपनी सर्विस की गुणवत्ता बिना किसी बाहरी दबाव के आंतरिक तौर पर सुधारनी है। मुझे मालूम है कि जो सवाल अब मैं आपसे पूछने जा रही हूं उसका जवाब आसान नहीं है, आपके अनुसार किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, विभाग वहां तक कैसे पहुंचेगा और आपके विचार में निचले स्तर के अधिकारियों की बदलाव की प्रक्रिया में क्या भूमिका हो सकती है?

पुलिस विभाग को अपने लिए एक निश्चित सर्विस मानक तैयार करना होगा जिसमें नागरिकों को दी जाने वाली सर्विस का स्तर और उसकी गुणवत्ता को परिभाषित किया जाना चाहिए। पुलिस को जिन मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, वे आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए भी है और जन–संपर्क के क्षेत्र में भी हैं। पुलिसकर्मी और विभाग के दूसरे कर्मचारी इस कोशिश के प्रमुख खिलाड़ी हैं। सर्विस की गुणवत्ता, अपराधों पर रोक लगाने और समुदाय के साथ मज़बूत संबंध स्थापित करने की सभ्यता को विकसित करना होगा।

बदले हुए समय में, आज लोगों में काफ़ी ऊंची उम्मीदें। निचले स्तर के अधिकारियों को बदलाव की इस हवा को समझना चाहिए और हमें पुलिस के प्रति जनता की आशाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। समाज में उभरती हुई विचारधारा को सकारात्मक रूप में स्वीकार कर लेने से पुलिस, जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर सकेगी और इस प्रकार बदलाव की प्रक्रिया की शुरूआत होगी।

उसी लेख में आपने यह भी कहा है कि विभाग तकरीबन १०० साल से निष्क्रिय है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन, आपके विचार में इस निष्क्रियता को कैसे उचित ठहराया जा सकता है जबकि हम दूसरे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन जब शासन प्रणाली, जवाबदेही और न्याय की बात हो तो, पिछड़े नज़र आते हैं।

१९४७ में आज़ादी के समय, बड़े स्तर पर हिंसा उत्पन्न हो गई थी जिस कारण पुलिसिंग में आवश्यक सुधार के लिए समय नहीं मिला था, जबकि हमारे पास एक ऐतिहासिक अवसर था ऐसा करने के लिए। हांलाकि, आज बढ़ती हुई जागरूकता के कारण, शासन प्रणाली, जवाबदेही और न्याय में सुधार का जनमत पैदा हो रहा है। आज इनसे आशाएं बढ़ती जा रही हैं और इस सिद्धांत पर भी बड़े पैमाने पर स्वीकृति हो रही है कि पुलिस को उनकी शक्तियां जनता से प्राप्त हैं इसलिए उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

आपके अनुसार वर्तमान पुलिस का दृष्टिकोण क्या है? इस सोच को कैसा आकार दिया जाता है? इसमें कमियां कहां हैं?

वर्तमान में पुलिस शासक केन्द्रित है, एक विरासत जो उपनिवेशिक शासन से हासिल की गई है। यह विचारधारा आज के समय के हिसाब से बेमेल और बेकार है।

क्या आम आदमी को जो पुलिसिंग दी जा रही है वह उससे संतुष्ट है? यदि 'हां' तो क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है? यदि 'नहीं' तो हम इसे कैसे बदल सकते हैं?

आम आदमी के प्रति, पुलिसिंग में सुधार के लिए यह कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें इस बात का आभास हो कि पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली उन्हें सर्वप्रथम रखती है। पुलिस की मुख्य धारणा जन–केंद्रित होनी चाहिए। जन–केंद्रित पुलिसिंग वह तरीका है जिसमें व्यक्तियों और समुदायों की आवश्यकताएं पुलिस के हर निर्णय और सर्विस में प्रदर्शित होती हैं। जन–केंद्रित पुलिसिंग केवल उन लोगों पर ही नहीं लागू होती है जो विभाग के समक्ष आते हों बल्कि हर स्तर पर और चाहे जो भी उनका काम हो, लागू होती है।

पुलिस व्यवहार में व्यापक बदलाव पूरी सुधार प्रक्रिया का 'लिटमस टेस्ट' है। यह बदलाव कैसे लाया जा सकता है? बल के सभी अधिकारियों का इस बदलाव को लाने में क्या योगदान होना चाहिए?

पुलिस में सभ्यता और व्यवहार को बदलने के लिए पुलिस अधिकारियों की लम्बे समय से चली आ रही मानसिकता और विचारों में बदलाव की आवश्यकता होगी। बल में नेतृत्व को न केवल बदलाव की अपेक्षा करनी है बल्कि उन्हें स्वंय भी बदलना है। हमारे अग्रनी अफ़सरों में विश्वास की आवश्यकता है और उन्हें अधिक सशक्त करने की भी ज़रूरत है। वास्तविक रूप से सशक्त पुलिसकर्मी ही गली में खड़े होकर आज की पुलिसिंग के चुनौतियों का ज़िम्मेदारी, प्रतिक्रियाशीलता, सक्षमता से सामना कर सकता है और ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित रह सकता है। पुलिस विभाग वर्तमान के सैन्यवादी ढ़ांचे और हाईरार्की में केवल आज्ञाकारिता पर बल देती है, यहां आत्म प्रबंधन और किसी पहल के लिए कोई स्थान नहीं है। सहभागिता प्रबंधन और ऊपरी और निचले स्तर के अधिकारियों के साथ केवल थोड़ी बेहतर बातचीत के अवसरों से उच्च अधिकारियों को आंतरिक प्रबंधन में बहुत मदद मिलेगी और निचले स्तर के अधिकारियों में वचनबद्धता और कार्य–संतुष्टि पैदा होगी।

इसके अलावा, विभाग के अंदर भी निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर पुलिसकर्मियों के पुरस्कार, नियुक्ति, दण्ड, ट्रांसफ़र और पदोन्नति में न्याय होगा तो पुलिसकर्मियों के अंदर भी अपने विभाग के प्रति न्यायता और निष्पक्षता का भाव उत्पन्न होगा। बदले में, वे भी उनके पास आने वाले नागरिकों को वही सब देंगे।

पुलिस अधिकारी हमेशा ही यह कहते हुए सुने जाते हैं "हम कानूनों को तोड़े बग़ैर अपराधों के विरूद्ध लड़ाई नहीं जीत सकते हैं।" क्या आप इस धारणा से सहमत हैं और अपने जवाब को कैसे उचित ठहरायेंगे?

न्यायिक पद्धति के उपयोग के बगैर पुलिस की कोई भी कार्यवाही उचित नहीं ठहराई जा सकती। वास्तविक उपचार, कानूनों और प्रक्रियाओं को समय और समाज में आए बदलाव के अनुसार परिवर्तित करने में है। इस बदलाव की सिफ़ारिश राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की ५वीं रिपोर्ट में भी की गई है।

आपको पंजाब पुलिस अकादमी के निदेशक के तौर पर नए है और पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण तथा मार्ग दर्शन का अनुभव रहा है और वर्तमान में आप पुलिस के ऑपरेशन का भाग हैं, ज़मीनी स्तर पर उनके कार्य–निष्पादन में प्रशिक्षण का कितना योगदान दिखाई पड़ता है? क्या उनके पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है?

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ड्रील पर दबाव कम डालना चाहिए और अपराध रोकने और लडाई रोकने के तरीकों, पुलिस धारणा और सभ्यता, शारीरिक और मानसिक दबाव को झेलने की तक्नीक, आत्म–जागरूकता और मानव मुल्यों के विकास संबंधित विषयों को शामिल करना चाहिए।

प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण मगर उपेक्षित क्षेत्र है जनता–पुलिस के वार्तालाप को विकसित करने के लिए अच्छे कौशल पैदा करने की क्षमता पर पुलिसकर्मियों को गुणात्मक प्रशिक्षण दिलवाना। इसलिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सॉफ़्ट स्किल तक्नीकों पर ज़ोर देना चाहिए।

प्रशिक्षण में, केसों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग निश्चित तौर से सिखाया जाना चाहिए ताकि अपराधसिद्धि दर बढ़े और गवाहों के बयान पर निर्भरता में कमी आए।

लोक पुलिस **११ हिंदि भाषी राज्यों के तकरीबन सभी थानों में पहुंचती हैं। आप इस पत्रिका के माध्यम से थाना स्तर के पुलिसकर्मियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?**

जो लोग पुलिस के संपर्क में आते हैं, वे दु:खी होते हैं और पुलिस से सहायता मांगने के लिए आते हैं। यह समस्याएं उनके लिए बेहद जटिल और महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि उनकी परेशानी को समझदारी से, अपनेपन से मदद करने की मंशा से सुना जाए। पुलिसकर्मियों को यह आभास होना चाहिए कि वह जो काम कर रहे हैं 'इससे समाज को रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है' न कि यह महसूस हो कि उन्हें काम केवल केसों की जांच करके अपनी जान छुड़ाने के लिए करना पड़ता है।

अंत में, *लोक पुलिस* की उपयोगिता पर आपका क्या मत है, ख़ासकर तब जब इसका मकसद है पुलिसकर्मियों को शिक्षित और जागरूक करना?

जागरूकता लाने और पुलिसकर्मियों को शिक्षित करने की कोशिश सराहनीय है।

अपराध स्थल का विश्लेषण

अगले कुछ अंकों में हम *अपराध स्थल के विश्लेषण* से संबंधित उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनका अनुसरण करने पर जांच की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आ सकता है। इसकी अनुपस्थिति में, बेहद ख़राब अपराध सिद्धि दर के कारण भी इस पर शोध आवश्यक है। इससे यह भी पता लगता है कि पुलिस जो अकसर यह कहती है कि वह जांच तो बहुत अच्छी तरह करती है लेकिन अदालत से आरोपियों को रिहाई मिल जाती है। यह रिपोर्ट पुलिस के इस कथन को भी नकारती है कि जांच कि गुणवत्ता में कमी उचित संसाधनों के अभाव के कारण है।

इस रिपोर्ट की प्रस्तुति द्वारा उन प्रक्रियाओं और नियमों को उजागर किया जाएगा जिनका पालन जांच की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए और जिसके पालन से सबूतों का वह स्तर प्राप्त किया जा सकता है जो एक सफल अभियोजन के लिए आवश्यक है।

अपराधों का पता लगाने में विज्ञान की बेहद व्यापक भूमिका हो सकती है लेकिन, यह लगातार देखा गया है कि अपराधों को सुलझाने में जांच अधिकारी इसकी शक्ति को महत्व नहीं देते हैं। जांच अधिकारी, महत्वपूर्ण सूत्रों का अनुसरण करने के बजाय डायरेक्ट व चश्मदीद गवाहों के बयान पर निर्भर करते हैं और अपराधी का पता लगाने के लिए ज़ोर–ज़बरदस्ती के तरीके का सहारा लेते हैं। अधिकतर पुलिस अधिकारी खुलेआम मानते हैं कि वे शायद ही कभी वैज्ञानिक तरीकों को प्रयोग में लाते हैं।

गवाह झूठ बोल सकते हैं, अपनी बात से पलट सकते हैं लेकिन परिस्थितियां समान रहेंगी और पारिस्थितियों को नज़रअन्दाज़ करने से मुख्य सबूतों के बर्बाद होने का ख़तरा रहता है। जब हम जांच में कमी की बात करते हैं तो हमें जांच अधिकारी की कठिनाईयों का भी ध्यान रखना होगा। उस पर काम का कितना दबाव है, क्या काम का दबाव उसे जांच के लिए आवश्यकता अनुसार समय उपलब्ध कराता है, क्या जांच के लिए उसे उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त है, क्या वैज्ञानिक साधनों की मदद लेने में उसके हाथ तंग है, उसे ऐसे सामग्रियों का पता लगाने, इकट्ठा करने और संभालने के लिए कोई शिक्षा प्राप्त है या नहीं जिनको सबूतों के तौर पर उपयोग किया जा सके।

जांच के उन पक्के मानकों का पालन नहीं किया जाता जिनपर अपराध सिद्धि आधारित है। जहां कमी रह जाती है वह है– प्रमाणित करने वाले सबूतों की श्रृंखला जो खुद ही एक कामयाब जांच की कुंजी है।

जांच की प्रक्रिया अपने आप ही ऐसे कई अवसर प्रदान करती है जहां शक्तियों और व्यक्तिगत फैसलों का विवेकगत रूप से उपयोग किया जा सके। इसमें पूर्वाग्रहों, किसी सुराग का अनुसरण न करना तथा किसी की तरफ अधिक झुकाव रखने, अभियोजन से बचे रहने के लिए वित्तीय लाभ पहुंचाने, गुप्त तरीकों के उपयोग और किसी ऐसे व्यक्ति को जानबूझ कर आरोप के जाल में फांसने या फिर आरोपी के विरुद्ध जांच की प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए दबाव बनाने आदि की व्यापक गुंजाईश और संभावना होती है।

इन चीज़ों में कमी लाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच तार्किक, निष्पक्ष और साफ़–सुथरे ढ़ंग से किया जाए दण्ड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) विभिन्न पुलिस अधिनियमों तथा विभिन्न नियमावलियों में विस्तृत नियम दिये गये हैं।

कानून में यह स्पष्ट है कि 'जांच' सिर्फ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संज्ञय अपराध से संबंधित केसों की जांच पूरी तरह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है लेकिन इसकी शर्त यह है कि वह संपूर्ण रूप से द.प्र.सं. के खण्ड १२ के प्रावधानों के अनुसार हो।

'जांच' पूरी तरह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायपालिका को इसके बीच में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हांलाकि, किसी न किसी रूप में संतुलन और नियन्त्रण रखा गया है। अगर एक ज़िला जज को गलत जांच की शिकायत मिलती है तो वह जज की हैसियत से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते लेकिन लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में वह पुलिस को आवश्यक कार्यवाही करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यवाही करने का निर्देश दे सकते हैं।

अपराध स्थल का विश्लेषण

एफ.आई.आर. दर्ज होने से चार्जशीट दर्ज होने के बीच का समय जांच का होता है। इसमें पुलिस को तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए और सबूत एकत्रित करके इसे संभालकर रखना चाहिए ताकि इससे सबूत का मूल्य नष्ट न हो। इसके बाद पुलिस को चाहिए कि वह चश्मदीद गवाहों का बयान दर्ज करे, खुद अपने सुरागों का अनुसरण करे और उन लोगों से पूछताछ करे जो उनके सवालों का जवाब दे सके। भौतिक और फौरेंसिक सबूतों को गवाहों, पीड़ितों और अपराध में सहभागी लोगों तथा स्वयं आरोपी के बयान उस समकालीन समय पर उसकी गतिविधियों आदि को जोड़कर एक ऐसा केस बनाया जा सकता है जो अभियोजन तक पहुंच सके और अगर सबूत सिद्धि के स्तर तक पहुंचते हैं तो इससे अपराध सिद्ध हो सकता है।

जैसे ही जांच को हाथ में लिया जाए पुलिस का काम है कि वह अपराध स्थल का निरीक्षण करे। हकीकत जानने का कोई और तरीका नहीं है। अपराध स्थल से सभी सुराग और सबूतों को इकट्ठा किया जाना चाहिए जिसमें अपराध करने का ढ़ंग, वह स्थान जहां से सभी गवाहों ने अपराध को होते हुए देखा हो, पदचिन्हों, उंगलियों, धब्बों की जांच कपड़ों, अपराधियों द्वारा किसी छोड़े गए हथियारों आदि की प्राप्ति केवल घटना स्थल पर उपस्थिति के बाद ही हो सकती है। जहां संभव हो गवाहों के बयान भी घटना स्थल पर ही लिये जाने चाहिए।

विभिन्न पुलिस नियमावलियों में अपराध संबंधी ठोस सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया दी गई है। जिसमें अपराध स्थल के निरीक्षण और उसे तब तक संभालकर रखने के दिशा–निर्देश दिये गये हैं जब तक कि वहां से सबूत ठीक तरह से न लिये गए हों। जहां आवश्यक हो वहां फोटोग्राफी और की जाए, अगर खोजी कुत्तों की आवश्यकता हो तो उन्हे बुलाया जाए, आवश्यक हो तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और इस जांच की विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए जिसमें मृत्यू के कारणों का विवरण भी हो। अगर ज़रूरत हो तो फ़िंगर प्रिंट और बलिस्टिक एक्सपर्ट की मदद ली जानी चाहिए और केस की जांच के दौरान उठाए जाने वाले हर कदम की जानकारी केस डायरी में दर्ज की जानी चाहिए।

जांच प्रणाली

जांच कैसे की जा रही है यह व्यवाहारिक महत्व की बात है। स्थानीय जांच, अपराध स्थल का एक प्लान बनाना, देखे गए तथ्यों और संरक्षित वस्तुएं, गवाहों और आरोपी के बयान, तलाशी आदि सब जांच के अंश हैं। उच्चतम न्यायालय ने *एच.एन. रिश्बुद बनाम दिल्ली राज्य, ए.आई.आर. (१९५५) एस.सी. १९६ पेज २०१* पर जांच के बारे में कहा है कि :–

१. जहां अपराध घटित हुआ है वहां पहुंचना जांच अधिकारी को चाहिए कि उचित सहायकों को चुनें जो जांच में लाभप्रद हों। उसके पास जांच में ज़रूरी उपकरण भी होने चाहिए। साथ ही, पांचा और एक्सपर्ट जिस किसी की भी ज़रूरत हो वह ली जानी चाहिए।

२. तथ्यों और केस की परिस्थितियों को सुनिश्चित करना

३. अपराध से संबंधित सबूतों को एकत्रित करना, जिसमें सम्मिलित होंगे –

क) कई लोगों से पूछ–ताछ और उनके बयान को लिखना

ख) स्थानों की तलाशी या ऐसी चीज़ों की बरामदगी जो जांच के लिए आवश्यक है या जिसे मुकदमे के दौरान पेश किया जाना है।

–नवाज़ कोतवाल

(शेष अगले अंक में)

केरल पुलिस का 'विज़न–२०३०'

कुछ महीने पहले, केरल पुलिस द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए पुलिसिंग संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जनता और पुलिसकर्मियों की राय ली जाए।

राज्य पुलिस ने अपनी वेबसाईट http://keralapolice.org/newsite/vision2030.php

पर इसके लिए चयनित निम्नलिखित विषयों को भी प्रदर्शित किया है:

जनता के प्रति व्यवहार, परिस्थितियों का समय से जवाब देना, अपराधों पर रोक, सामुदायिक पुलिसिंग, संवेदनशील क्षेत्रों में कानून–व्यवस्था को बनाए रखना, जांच के वैज्ञानिक तरीकों को सीखना, रिकॉर्ड बनाकर रखना, पुलिस–अपराधियों में संबंध पर रोक, भ्रष्टाचार और अनुशासन का पालन, यातायात नियंत्रण और दुर्घटनाओं पर रोक, किशोर अपराधियों पर रोक, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध, मानव व्यापार पर रोक से संबंधित, साईबर अपराधों की जांच और रोक से संबंधित, प्रमुख केंद्रों, सरकारी कार्यालयों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, ईमारतों आदि की सुरक्षा से संबंधित, यूनिफार्म को पुनः डिज़ाईन करने से संबंधित।

उपरोक्त विषयों पर प्राप्त १० सर्वश्रेष्ठ सुझावों को जिन्हें कार्यान्वयन के लिए भी चुना जा सके उचित तौर पर पुरस्कृत किये जाने का भी प्रावधान है।

(सौजन्यः केरल पुलिस वेबसाईट http://www.keralapolice.org/newsite/vision2030.php*)*

क्या आप जानते हैं ?

इस श्रृंखला में उत्तराखण्ड के *सेवा के अधिकार अधिनियम २०११* के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किऐ गए एक सर्कुलर के कुछ भाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी विभागों के लिए नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए समय–सीमा तथा उचित अधिकारियों के पद को सारणीबद्ध किया गया है।

इसके अंतर्गत पुलिस विभाग से जनता द्वारा मांगी गई सेवाओं से संबंधित भाग को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे जिन राज्यों में सेवा के अधिकार का अधिनियम नहीं है, वहां भी पुलिस विभाग को इस प्रकार से जनता को सेवा प्रदान के लिए समय–सीमा निश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को स्वतः ही ऐसी समय सारणी के अनुसार सेवा प्रदान करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अनुसरण करने के लिए यह एक बेहद अच्छा उदाहरण है। इससे पुलिस के कार्य–निष्पादन में साकारात्कम बदलाव आएगा।

क्र.सं.	सेवाएं	मनोनीत अधिकारी	सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	दुतीय अपील अधिकारी
१	विदेशियों द्वारा बढ़े हुए समय में भारत में रहना	इंस्पेक्टर लोकल इंवेस्टीगेशन यफनिट(एल.आई.यू.)	७ दिन	सर्कल अफ़सर	
२	विदेशियों का पंजीकरण	इंस्पेक्टर, एल.आई.यू.	तुरंत	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
३	बाहरी व्यक्तियों का प्रमाणिकरण (जिस ज़िले का वह है वहां से सत्यापन पत्र मिलने पर)	थाना अध्यक्ष	७ दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
४	एफ.आई.आर. की कॉपी देना (वादी को)	थाना अध्यक्ष	तुरंत	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
५	लाऊड स्पीकर के उपयोग की आज्ञा देना	थाना अध्यक्ष	५ दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
६	नौकरी संबंधित सत्यापन	थाना अध्यक्ष	३० दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
७	पासपोर्ट संबंधित सत्यापन	इंस्पेक्टर, एल.आई.यू.	२१ दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
८	साधारण अनुरोध पत्र/शिकायत का निष्कासन	थाना अध्यक्ष	३० दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
९	पुलिस के विरुद्ध शिकायत	सर्कल अफ़सर	३० दिन	ज़िला प्रमुख	एस.पी/एस.एस.पी.
	सेवाओं का विस्तृत विवरण, जहां विभाग द्वारा सिफ़ारिश/टिप्पणी भेजी जानी है–				
१०	हथियार लाईसेंस के नवीणीकरण की सिफ़ारिश/टिप्पणी देना (अगर आवेदन लाईसेंस के रद्द होने के पहले किया गया हो और यह उसी थाने से संबंधित है)	थाना अध्यक्ष	१५ दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
११	हथियार लाईसेंस से संबंधित किसी बदलाव की सिफ़ारिश (अगर वह उसी थाने से संबंधित है)	थाना अध्यक्ष	७ दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
१२	मेला/प्रदर्शनी और कोई दूसरी प्रायोजित प्रोग्राम के लिए आपत्ति न होने से संबंधित	थाना अध्यक्ष	५ दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
१३	नए हथियार से संबंधित लाईसेंस के सत्यापन से संबंधित सिफ़ारिश/टिप्पणी	थाना अध्यक्ष	३० दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
१४	हथियार लाईसेंस के नवीणीकरण से संबंधित सिफ़ारिश/टिप्पणी	थाना अध्यक्ष	१५ दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
१५	हथियार बेचने के नवीणीकरण लाईसेंस पर आपत्ति न होने के सिफ़ारिश/टिप्पणी संबंधित	थाना अध्यक्ष	१५ दिन	सर्कल अफ़सर	एस.पी/एस.एस.पी.
१६	पेट्रोल पम्प/सिनेमा हॉल के नवीणीकरण लाईसेंस पर आपत्ति न होने के सिफ़ारिश/टिप्पणी संबंधित	थाना अध्यक्ष/फायर स्टेशन अफ़सर	१५ दिन	सर्कल अफ़सर/ प्रमुख फ़ायर अधिकारी	एस.पी/एस.एस.पी.

- *सेवा के अधिकार अधिनियम २०११* के अंतर्गत दिनों की गिनती केवल काम के दिनों के अनुसार की जाएगी।
- इस कानून के अंतर्गत दिनों की गिनती उचित रूप से भरे हुए फार्म की प्राप्ति से की जाएगी।
- उपरोक्त सभी सेवाएं तुरंत ही देना शुरू कर दिया जाएगा।

— जीनत मलिक

सन्तरी पहरा

पुलिस थाने/गार्दो में निगरानी व सुरक्षा के लिये दिन व रात में संतरी ड्यूटी लगाई जाती है। थाने पर संतरी ड्यूटी लगाने का उद्देश्य हवालात में बंद अभियुक्तों की निगरानी, मालखाना एवं सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा व थाने पर आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखना होता है।

उद्देश्य :–

(१) हवालात में बन्द अपराधियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखना।

(२) थाने पर मालगृह व सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

(३) थाने पर आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना।

कर्तव्य :–

(१) थाने की समस्त सम्पत्ति पर नजर रखते हुए उसकी रक्षा करें।

(२) अनाधिकृत व्यक्तियों को कमरों के अन्दर न जाने दें और उन पर नजर रखें।

(३) थाने के हवालात में बन्द अपराधी के पास किसी अन्य व्यक्ति को न जाने दें। बन्द अपराधी को बाहरी व्यक्ति से खाने पीने की कोई वस्तु न लेने दें। मैस में बना भोजन ही अपराधी को दें।

(४) बन्द अपराधी अगर अपने को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, तो उसे फौरन रोकने की कार्यवाही करें और तुरन्त अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें।

(५) थाने में आने वाले आगन्तुकों के साथ सही सूचना का आदान–प्रदान करें और उनका उचित मार्गदर्शन करें।

(६) मालखाने और अन्य कमरों में लगे तालों का निरीक्षण कर इत्मिनान कर लें कि वह सही लगे है अन्यथा थाना प्रभारी को सूचित करें।

(७) टेलीफोन पर बातचीत करते समय सभ्यता का परिचय दें।

(८) संतरी अपने पहरे में समय से आये।

(९) दौराने ड्यूटी नशीली वस्तु का सेवन न करें।

(१०) अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं न जायें।

(११) थाने के हवालात में जब किसी व्यक्ति को बन्द किया जाये तो अपराधी की सघन तलाशी लेकर तलाशी में मिले सामान को थाना कार्यालय में दाखिल करें। तलाशी के समय लापरवाही न बरतें।

(१२) पहरे पर नियुक्त संतरी को अपने थाने की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिये।

(१३) सन्तरी को महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों की जानकारी होनी आवश्यक है।

(१४) अपने शस्त्र की हैण्डिलिंग में माहिर होना चाहिये।

(१५) अच्छी साफ सुथरी, नियमानुसार वर्दी धारण करें।

(१६) सन्तरी ड्यटी पर रहते हुये मोबाईल फोन का उपयोग न करें। मोबाईल फोन बन्द अथवा साइलेण्ट मोड में रखें।

(१७) सन्तरी ड्यटी पर रहते हुये कुर्सी, बैंच पर बैठने का उपक्रम न करें और मुस्तैद रहें।

(उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा हर स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों को दी जानी वाली एक अध्ययन पुस्तिका के कुछ अंश)

आपके विचार

संपादिका महोदया,

नमस्कार!

अक्टूबर के अंक में 'आपके सुझाव' के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति की बर्बतापुर्ण पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों का भी मानसिक संतुलन अवश्य ही खो गया होगा जिस कारण उन्हें न तो अपने व्यवासायिक दायित्वों का ध्यान रहा और न ही साधारण मनुष्यता का। ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आपराधिक कानूनों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

सिपाही,
सदस्य, रांची पुलिस
झारखण्ड

संपादिका जी,

सादर नमस्कार!

लोक पुलिस नवंबर २०११ के अंक में 'क्या आप जानते हैं' श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित केरल पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सर्कुलर जिसमें थाना स्टाफ़ के अनावश्यक हस्तांतरन को मना किया गया है को, सभी राज्यों द्वारा तुरंत ही अपना लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारे काम में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इससे जांच करते समय हमारी एकाग्रता छिन जाती है और वापस उस केस पर काम करने में बहुत कठिनाई आती है। कम से कम जांच अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। आशा है, इस पर संबंधित अधिकारियों का अवश्य ही ध्यान जाएगा।

धन्यवाद!

सहायक थाना प्रभारी
सदस्य, दिल्ली पुलिस

नमस्कार जी,

मैंने अपने थाने में आ रही इस पत्रिका को अक्टूबर में पहली बार पढ़ा। इसमें 'गिरफ़्तारी वारंट – दुरुपयोग पर रोक' काफ़ी ज्ञानवर्धक था। पत्रिका भी अच्छी है। समय न मिलने के कारण पूरा समय देकर सभी लेख तो नहीं पढ़ सकी पर इसके एक दो लेख तो अब नियमित रूप से पढ़ा करूंगी।

महिला कांस्टेबल,
सदस्य मुंबई पुलिस,
व्ली महाराष्ट्र

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

सभी थानों में महिला पुलिस की नियुक्ति

आंध्रा प्रदेश में राज्य भर के सभी थानों में जल्द ही कम से कम एक महिला पुलिस कांस्टेबल या महिला होम गार्ड की नियुक्ति की जाएगी ताकि महिला शिकायतकर्त्ताओं को सुविधापूर्ण वातावरण मिल सके। यह घोषणा राज्य पुलिस के डी.जी.पी. श्री वी. दिनेश रेड्डी द्वारा राज्य की महिला कल्याण और बाल कल्याण मंत्री श्रीमति सुनीथा लक्षमा रेड्डी के मशवरे के बाद एक आयोजन में की गई। उनके अनुसार महिला पुलिस की मौजूदगी से महिलाओं को थाने आने में हिचकिचाहट नहीं होगी।

महिला कल्याण मंत्री ने पुलिस को महिलाओं से संबंधित केसों को जल्दी निपटाने की सलाह दी और न्यायपालिका से निवेदन किया कि वह महिलाओं से संबंधित केसों की शीघ्रता से सुनवाई करें। साथ ही, न्यायपालिका के प्रशिक्षण विषय–वस्तु में आवश्यक बदलाव किया जाए ताकि वे महिलाओं, बच्चों और किशोर अपराधियों से संबंधित केसों में समानुभूतिपूर्ण तरीके से सुनवाई कर सकें और उनके अनुसार पुलिस और न्यायपालिका को महिला और बच्चों से संबंधित मामलों में अपना रवैया बदलने की आवश्यकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि थानों में महिलाओं को सुरक्षा का आभास कराने के लिए महिला अधिकारियों की मौजूदगी ज़रूरी है। लेकिन, राज्य सरकार और राज्य के डी.जी.पी. अगर वास्तव में महिलाओं से संबंधित अपराधों के माामलों को ठीक से सुनना चाहते हैं तो उन्हें हर थाने में कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति के बजाय हर थाने में आनुपातिक स्तर पर महिलाओं की नियुक्ति का दायित्व उठाना चाहिए अन्यथा ऐसी नियुक्तियों का क्या तात्पर्य जो केवल सांकेतिक हों? इससे साधारण महिला को तो सुरक्षा और अपनेपन का आभास हो या न हो लेकिन उस इकलौती महिला पुलिसकर्मी की मानसिक दशा क्या होगी इसे आसानी से समझा जा सकता है।

(सौजन्य : द हिन्दू डॉट कॉम ९ नवंबर २०११)

पुलिस भर्ती में महिलाओं की रूचि बढ़ी

पिछले महीने पंजाब पुलिस में १०० महिला कांस्टेबलों की भर्ती के लिए १००० लड़कियों ने आवेदन किया जिसमें से २४०० लोगों को शारीरिक जांच में आगे की प्रक्रिया के लिए चुना गया। आवेदकों में अधिकतर लड़कियां गांवों से और गरीब घरों से थीं। इतने अधिक आवेदकों का भाग लेने में अवश्य ही बेरोज़गारी भी एक कारक हो सकता है लेकिन इससे समाज की मानसिकता में बदलाव का आभास भी होता है।

पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी से किसी भी क्षेत्र की पुलिस की मानवीय छवि को आकार मिलता है। लेकिन, इस विभाग की विशिष्ट कार्यपद्धति और कार्यभार के कारण महिलाएं पहले इससे दूर ही रहती थीं। लेकिन, पंजाब में हुई इस नई चयन प्रक्रिया ने पुरानी सामाजिक सोच को दरकिनार करते हुए महिलाओं को एक नई शक्ति प्रदान की है।

आशा है, इस विभाग से जुड़ी पुरुष प्रधान छवि में धीमी गति से ही सही, लेकिन बदलाव अवश्य ही आएगा। ऐसे उदाहरणों से दूसरे राज्यों में भी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

(सौजन्य : द ट्रिब्यून इंडिया डॉट कॉम ९ नवंबर २०११)

दिल्ली पुलिस के कमिशनर श्री बी. के. गुप्ता के अनुसार वे इस पद को संभालने के एक साल बाद अपने और विभाग के कार्य–निष्पादन से संतुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने कई नामचिन्ह केसों को हल कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने कुछ बहुत अच्छे काम किये हैं जिसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन, केवल एक ईशान केस को हल कर लेने भर से पुलिस की जवबदेही ख़त्म नहीं हो जाती। बाकी के उन बच्चों का क्या जहां औसतन हर दिन १० बच्चे दिल्ली से गुम हो जाते हैं? क्या उनके परिजन ईशान के घरवालों की तरह रसूक वाले नहीं हैं इसलिए उन्हें दिल्ली पुलिस से बरामदगी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए?

दिल्ली पुलिस ने धौला कुंआ बलात्कार केस में सफ़लता पाकर अपने पीठ थपथपा ली। लेकिन, क्या कोई महिला स्वयं को सूरज ढ़लने के बाद अकेली सड़क पर चलने में सुरक्षित महसूस करती है? यदि हां तो पुलिस अपना दायित्व निभाने में सक्षम रही है। इसके लिए उनकी ओर से कोई भी कोशिश की गई हो जैसेः पुलिस ने इसके लिए उचित संख्या में अंधेरे और सुनसान रास्तों में पेट्रौलिंग बढ़ा दिया हो आदि।

मुझे याद है एक साल पहले जब कमिशनर साहब ने पद संभाला था तब उनकी प्राथमिकताओं की सूची में ऑटो रिक्शा वालों की मनाही और इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाने की बात कही गई थी। लेकिन, आज भी इसमें सुधार का कोई प्रत्यक्ष प्रबंध नहीं दिखाई पड़ता। अगर सुबह मालवीय नगर मार्केट जैसे इलाके में आप ऑटो चालक को कहीं चलने को कहेंगे तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर आपको ८-१० लोंग पहले मना करेंगे। क्या दिल्ली पुलिस ने ऐसी परेशानियों से जनता को राहत दिलवाने के लिए ऑटो स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस की गश्त बढ़वाई है? नहीं, सुबह के समय शायद ही कोई पुलिस की बाईक आपको ऐसी जगहों पर दिखाई पड़ेगी।

दिल्ली पुलिस अगर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के भीतर सुरक्षा का भाव पैदा कर सके तभी यह अपनी पीठ थपथपाने की पात्र है वर्ना नहीं। क्योंकि, अपराध के आंकड़े चाहे कम भी हो जाएं लेकिन असुरक्षा की भावना में आम आदमी के अंदर कोई कमी नहीं आई है।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम २९ जुलाई व १० नवंबर २०११)

एस.एम.एस. द्वारा अपराधों की सूचना

हरियाणा के गुड़गांव और पंचकुला में अपराध की सूचना एस.एम.एस. द्वारा देने की शुरूआत, एक पायलट प्रॉजेक्ट के अंतर्गत इन दो शहरों में की गई थी।

डी.जी.पी. श्री आर.एस.दलाल ने पिछले महीने, राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और व्यवस्था का पुनः निरीक्षण के लिए आयोजित एक मीटींग में बताया कि – जल्दी ही यह सुविधा सारे राज्य में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा के मधुबन में १.५ करोड़ की लागत से बनने वाले देश के सबसे आधुनिक फौरेंसिक लैब की स्थापना को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है।
इस मीटींग में डी.जी.पी. ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून तोड़ कर बच निकलने वाले लोगों को पकड़ने के लिए एक व्यवस्थागत प्लान तैयार करें और राज्य को अपराध–मुक्त राज्य बनाने को प्राथमिकता दें।

अपराधों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया हर कदम सराहनीय होता है और दूसरे राज्यों के लिए अच्छा उदाहरण होता है।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम ११ नवंबर २०११)

पुलिस की करनी - राज्य को भरनी है!

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मई २००७ में हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में ७० बेकसूर लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में, राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें मुआवज़े के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा एक चरित्र प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। मुआवज़े के तौर पर ७० लाख रुपए दिये जाने की घोषणा मुख्य मंत्री श्री किरन कुमार रेड्डी ने असेम्बली में किया। इसके अनुसार २० सबसे अधिक प्रभावित लोगों को ३-३ लाख रुपए तथा बाकी लोगों को २०-२० हज़ार रुपए दिया जाएगा।

मक्का मस्जिद ब्लास्ट में ६ लोगों की मौत हुई थी बाद में पुलिस की फायरिंग से ५ और लागों की जानें गई थीं। इसके बाद पुलिस ने कई बेगुनाह मुस्लिम युवकों की गिरफ़्तारी की थी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की सच्चाई जानने के लिए बनाई गई कमिटी ने यह रिपोर्ट दिया की इन युवकों को प्रताड़ित किया गया था। बाद में इसमें हिन्दू राईट विंग ग्रुप का शामिल होना पाया गया और अदालत ने इन युवकों को बाईज्ज़त बरी भी किया था। लेकिन, तकरीबन ६ महीने जेल में रहने और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद समाज ने इन्हें भी शक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया था इसलिए सरकार द्वारा मुआवज़ा दिये जाने से भी बढ़कर इनमें चरित्र प्रमाण पत्र हासिल करने की खुशी है।

लेकिन, ब्लास्ट हो या फिर कोई और अपराध पुलिस द्वारा प्रताड़ना के शिकार लोगों को मुआवज़ा देना जहां एक बेहद सराहनीय कदम है जनता में विश्वास पैदा करने का वहीं अगर मुआवज़े की रकम का कुछ भाग इसमें सम्मिलित अधिकारियों की जेब से लिया जाता तो यह एक कठोर निवारक सिद्ध होता। आख़िर पुलिस की करनी का हर्जाना सरकारी खज़ाने से क्यों भरा जाए?

(सौजन्य : हिन्दुस्तान टाईम्स डॉट कॉम ८ दिसंबर २०११)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org